Anx-5 95
1-3

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

निगरानी संख्या – 2806/2005/कोटा

डॉ वीरेन्द्र क्षैत्रपाल आत्मज श्री शान्तिलाल खत्री सोल प्रोपराइटर मैसर्स क्षैत्रपाल सोफ्टवेयर निवासी सिविल लाइन्स कोटा। .....प्रार्थी

बनाम

1. दी स्टेट ऑफ राजस्थान
2. उप पंजीयक, पंजीयन एवं मुद्रांक, कोटा
3. उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, कोटा .....अप्रार्थीगण

एकलपीठ
जी.आर.मूलचन्दानी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री चन्द्रमोहन शर्मा, अधिकृत अधिवक्ता ....प्रार्थी की ओर से

श्री नरेन्द्र सिंह राठौड़, उप राजकीय अधिवक्ता ....अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय दिनांक : 19/03/2010

निर्णय

प्रमाणित प्रतिलिपि
रजिस्ट्रार
राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

मिलान किया
सुना
पढ़ा

1. प्रार्थी द्वारा यह रिफण्ड प्रार्थना पत्र धारा 45 इण्डियन स्टाम्प एक्ट,1899 के तहत प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी को राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कोरपोरेशन लि0 राज0 की कोटा इकाई ने इन्द्रप्रस्थ इण्डस्ट्रीयल ऐरिया कोटा के आई.टी.पार्क में स्थित एक प्लाट नं. जी.आई.16 सोफ्टवेयर कम्पनी स्थापित करने के लिए प्रार्थी को आवंटित किया गया। उक्त प्लाट सोफ्टवेयर कम्पनी स्थापित करने के लिए प्रार्थी को आवंटित किया गया था। रीको द्वारा प्लाट की लीजडीड दिनांक 25.9.2002 को प्रार्थी के पक्ष में तहरीर कर दिनांक 26.9.2002 को उप पंजीयक कोटा के समक्ष पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया गया। उप पंजीयक कोटा द्वारा प्रार्थी से दिनांक 26.9.2002 स्टाम्प शुल्क, पंजीयन शुल्क का कुल रू0 58,885/–वसूल कर लीज डीड का पंजीयन किया गया। वक्त आवंटन प्रार्थी को बताया गया था कि आई.टी.पार्क के सोफ्टवेयर फैक्ट्री हेतु आवंटित इण्डस्ट्रीयल प्लाट को राज्य सरकार के आदेश से पंजीयन एवं मुद्रांक ड्यूटी से छूट प्रदान कर रखी है। प्रार्थी द्वारा उक्त राशि का रिफण्ड चाहने बाबत् कलक्टर(मुद्राक) कोटा एवं चीफ कन्ट्रोलिंग रेवेन्यू ऑथोरिटी, अजमेर के यहा प्रार्थना पत्र पेश किया गया था लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होने पर प्रार्थी द्वारा यह रिफण्ड प्रार्थना पत्र स्टाम्प एक्ट की धारा 45 के अन्तर्गत राजस्व मण्डल को पेश किया गया जहॉ से यह प्रार्थना पत्र यहॉ प्राप्त हुआ है

3. बहस सुनी गयी।

19/3/2010

लगातार.........2

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि रीको द्वारा सोफ्टवेयर उद्योग के लिए पंजीकरण व स्टाम्प शुल्क में शासनादेश से छूट प्रदान की गयी थी परन्तु प्रार्थी के द्वारा रीको से सोफ्टवेयर उद्योग लगाने हेतु भूखण्ड के पंजीकरण पर उप निबंधक द्वारा अविधिक रूप से स्टाम्प व पंजीयन शुल्क वसूल कर लिया गया है जिसकी नियमानुसार वापसी प्रार्थी को की जाये और प्रार्थी ने इस हेतु उप महानिरीक्षक स्टाम्प व रेवेन्यू बोर्ड से भी पत्राचार किया है जो पत्रावली पर प्रस्तुत है। अतः प्रार्थी को अदा किया गया स्टाम्प व पंजीयन शुल्क वापस प्रदान करने के आदेश दिये जावे। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अग्रलिखित विनिश्चय निगरानी संख्या 1124/2005/कोटा डा0 के.के.पारीक पुत्र श्री शिवनारायण पारीक, तलवण्डी कोटा बनाम राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक, कोटा व अन्य निर्णय दिनांक 23.7.2008 का अवलम्ब लिया है। अप्रार्थी के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विहित समय अन्तर्गत प्रस्तुत नहीं किया गया है और प्रार्थी ने विलम्ब क्षमा करने का कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है तथा प्रार्थी स्टाम्प अधिनियम व नियमों के अनुसार सम्यकरूपेण प्रार्थना पत्र देकर भी नहीं आया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

5. प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र धारा 45 स्टाम्प अधिनियम,1899 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है, धारा 45 की परिभाषा अग्रवत है:– .

अजमेर
प्रमाणित प्रतिलिपि
रजिस्ट्रार
राजस्थान कर बोर्ड,
अजमेर

मिलान किया
सुना
टंकित

"Power to Revenue-authority to refund penalty or excess duty in certain cases-(1) Where any penalty paid under section 35 or section 40, the Chief Controlling Revenue-authority may, upon application in writinig made within **one year** from the date of the payment, refund shall penalty wholly or in part.

(2) Where in the opinion of the Chief Controlling Revenue-authority, stamp-duty in excess of that which is legally chargeable has been charged and paid under section 35 or section 40, such authority may, upon application in writing made within **three months** of the order charging the same, refund the excess."

प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विवादित लीजडीड दिनांक 26.9.2002 को उप पंजीयक के यहाँ पंजीकरण कराने का अभिवचन किया है और प्रार्थना पत्र के चरण संख्या चार में यह अंकित किया है कि "वक्त आवंटन में प्रार्थी को बताया गया कि आई.टी.पार्क सोफ्टवेयर फैक्ट्री हेतु आवंटित इण्डस्ट्रीयल प्लाट को राज्य सरकार के आदेश से पंजीयन एवं मुद्रांक ड्यूटी से छूट प्रदान कर रखी है।"

पंजीयन व मुद्रांक शुल्क की छूट की जानकारी के पश्चात् भी, प्रार्थी द्वारा यह प्रश्नगत राशि भुगतान करने की बात कही गयी है और सम्बन्धित लीजडीड की

लगातार.........3

19/3/2010

प्रतिलिपि या मूल को भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया है। जहॉ तक प्रार्थना पत्र में वर्णित पत्राचार का प्रश्न है, तो इन प्रार्थना पत्रों की असत्यापित छाया प्रतियॉ ही प्रस्तुत की गई है और यह मूल रूप से प्रस्तुत नहीं की गयी है तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित अभिवचनों के समर्थन में कोई शपथ पत्र भी प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 05.03.2003 को प्रस्तुत किया गया है जबकि प्रश्नगत लीजडीड के पंजीकरण की तिथि दिनांक 26.09.2002 की होना बताया गया है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भी जो धारा 45 स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया गया है को भी कालबाधित रूप से पेश किया

पूर्व विवेचन के प्रकाश में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का कोई विधिसम्मत् कारण अनुभव नहीं होता।

फलतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

19/3/2010

(जी.आर.मूलचन्दानी)
सदस्य

प्रमाणित प्रतिलिपि

रजिस्ट्रार
राजस्थान कर बोर्ड,
अजमेर

मिलान किया

पढ़ा सुना